भाग–III

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 अगस्त, 2019

संख्या सा०का०नि० 34/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख विभाग, मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग – I सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. (1) ये नियम हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख विभाग, मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख, हरियाणा;

(घ) "रोजगार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में रोजगार कार्यालय;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख विभाग, मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा।

भाग – II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद समाविष्ट होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु वर्ग (ख) या (ग) से संबंधित व्यक्ति किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता या प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु

5. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5), की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाएंगी।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती की ढंग

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी–

(क) दफ्तरी की दशा में, ––

(i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) सेवादार, चौकीदार तथा स्वीपर की दशा में,––

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु ––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निर्धारित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, किसी रिक्ति पर पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा––

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा, हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा–अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा–अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों तो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–अलग निश्चित की जाएगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता–क्रम भंग नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगीः–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, उन सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा, उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को, सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,–

(i) कोई कम्पनी, संगठन या व्यष्टि–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वद्यिालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या कोई कम्पनी, संगठन या व्यष्टि–निकाय चाहे, वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर–सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) तथा खंड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा।

वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें।

13. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5), की धारा 4 में यथा विनिर्दिष्ट।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगेः

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होगें, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवाएगा और जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे तो पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे, तो नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछ़डे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता, किसी भी समय, पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	दफतरी	1	सैल–1 स्तर–18000/–रूपये
2.	सेवादार	6	सैल–1 स्तर–16900/–रूपये
3.	चौकीदार	1	सैल–1 स्तर–16900/–रूपये
4.	स्वीपर	1	सैल–1 स्तर–16900/–रूपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यतांए तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यतांए तथा अनुभव, यदि कोई हो
1.	2.	3.	4.
1.	दफतरी		**पदोन्नति द्वारा–** हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5), की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा–** हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5), की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।
2.	सेवादार	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5), की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा–** हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5), की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।
3.	चौकीदार		
4.	स्वीपर		

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	दफतरी	निदेशक	(1) **छोटी शक्तियां——** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	निदेशक	सरकार
2	सेवादार				
3	चौकीदार				
4	स्वीपर		(2) **बड़ी शक्तियां——** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्र0 सं0	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी।	अपील प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	दफतरी	(I) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना। (II) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सरकार।
2	सेवादार			
3	चौकीदार			
4	स्वीपर			

विनीत गर्ग,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 2nd August, 2019

No. G.S.R. 34/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Head Quarter (Group D) Service, namely:-

PART I - GENERAL

Short title.

1. (1) These rules may be called the Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Head Quarter (Group D) Service Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires;-

(a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Director" means Director, Employees State Insurance Health Care, Haryana ;

(d) "Employment Exchange", means Employment Exchange in the State of Haryana;

(e) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(f) "Institutions" means,-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other Institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(g) "Service" means the Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Head Quarter (Group D) Service.

PART II –RECRUITMENT TO THE SERVICE

Number and Character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in the Appendix A to these rules.

Provided that nothing in these rules shall affect the right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such post, or to create new posts, with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is--

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan :

Provided that a person belonging the categories (b) or (c), shall be person in whose favour of a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. As specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).

Appointing authority.

6. Appointment to any posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No Person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment.

Disqualification.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Services:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made --

(a) in the case of Daftri,-

(i) by promotion from amongst Peon; or

(ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government.

(b) in the case of Peon/Chowkidar/ Sweeper,-

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government.

(2) All promotions unless otherwise, provided, shall be made on seniority-cum- merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that –

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and

(b) if such person is appointed otherwise, than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has in its opinion, been satisfactory,--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, inter se of members of the Services shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows,-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under:-

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) The Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, allowances, leave , pension and other matters.

13. As specified in section 4 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service, shall get himself vaccinated and revaccinate as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservation.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes/Backward Classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons, in accordance with the orders issued by the Government in this regard, from time to time.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation	Number of Posts	Scale of pay
1.	Daftri	1	Level-1 (Cell-1) ₹18000/-
2.	Peon	6	Cell-1 ₹16900/-
3.	Chowkidar	1	Cell-1 ₹16900/-
4.	Sweeper	1	Cell-1 ₹16900/-

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	**Designation of posts**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Daftri	-	By promotion- By transfer/deputation- As specified in the first Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)
2.	Peon	As specified in the first Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)	By transfer/deputation- As specified in the first Schedule of the Haryana Group D employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).
3.	Chowkidar		
4.	Sweeper		

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial Number	**Designation of posts**	**Appointment Authority**	**Nature of Penalty**	**Authority empowered to impose penalty**	**Appellate authority**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Daftri	Director	I. **Minor Penalties-** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. II. **Major Penalties** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Director	Government
2	Peon				
3	Chowkidar				
4	Sweeper				

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Daftri	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Director	Government
2	Peon			
3	Chowkidar			
4	Sweeper	(ii) Terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

VINEET GARG,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Labour Department.

57233—C.S.—H.G.P., Chd.